एमपीएचआईएन/1997/6965

WPP : डाक पंजीकरण क्र.527/2014-16/ग्वा. म.प्र.

अर्थ वार्ता

म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ग्वालियर का "मासिक पत्र"

वेबसाइट : www.mpcci.com
ई-मेल : info@mpcci.com
pro@mpcci.com

वर्ष : 18, अंक : 10

माह : मई, 2016

स्वविज्ञापन के विरुद्ध प्रावधान, व्यापार एवं उद्योग विरोधी : चेम्बर

"मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम,2016" के प्रस्तावित प्रावधानों पर आपत्ति भेजने हेतु सम्पन्न हुईं बैठकें

बैठक में अधिक से अधिक आपत्तियाँ भेजे जाने का निर्णय

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग. म. प्र. द्वारा "मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम,2016" के संबंध में चर्चा करने तथा रणनीति बनाने हेतु बैठकों का आयोजन दिनांक 20-22 अप्रैल,16 को 'चेम्बर भवन' में किया गया।

बैठक में उपस्थित सदस्यगणों व विज्ञापन मीडिया से जुड़े हुए व्यवसाईयों द्वारा सर्वसम्मति से मध्यप्रदेश आउटडोर एडवरटाइजमेंट मीडिया रूल्स-2016 का तीव्र विरोध करते हुए, इस पर अधिक से अधिक आपत्तियाँ शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित चेम्बर के कार्यकारिणी सदस्यगणों, व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों व समूह क्रमांक-27 के सदस्यों ने निर्णय लिया कि निम्न प्रमुख बिन्दुओं पर चेम्बर सहित सभी सदस्यों व व्यवसाईयों द्वारा आपत्तियाँ प्रेषित की जाए।

✻ स्व–विज्ञापन के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों पर साइन बोर्ड के पंजीयन को अनिवार्य किए जाने । ✻ स्व–विज्ञापन के अन्तर्गत तीन फुट से ऊपर के साइन बोर्ड पर शुल्क लगाए जाने । ✻ 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जमीन होर्डिंग केवल सिंगल पोल (यूनीपोल) पर लगाए जाने । ✻ निजी भवनों पर होर्डिंग को प्रतिबंधित किए जाने । ✻ 40 फुट से कम मार्ग पर ग्लोसाइन बोर्ड को प्रतिबंधित किए जाने । ✻ समारोह/इवेंट पर लाइसेंस फीस का प्रावधान किए जाने । ✻ आउटडोर मीडिया डिवाइस के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों, अस्पतालों अथवा सहायता केन्द्रों पर औद्योगिक घरानों व व्यवसाईयों द्वारा साइन बोर्ड अथवा कचड़ादान आदि पर प्रचार की दृष्टि से अपना विज्ञापन दर्शाए जाने पर शुल्क लगाए जाने आदि प्रावधानों का तीव्र विरोध करते हुए, इन पर निर्धारित अवधि के अंदर आपत्तियाँ भेजे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

इससे पूर्व बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष, अरविन्द अग्रवाल ने स्वविज्ञापन पर राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित प्रावधानों पर आयोजित बैठक में पधारे, कार्यकारिणी सदस्य महानुभावों व सदस्यगणों एवं विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का बैठक में पधारने पर स्वागत् किया । साथ ही, आपने अपने उद्‌बोधन में कहाकि शासन द्वारा स्वविज्ञापन नीति से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुराष्ट्रीय कं. के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है । नवीन प्रस्तावित प्रावधानों से राज्य के छोटे व्यवसाई व उद्योगपति इससे बुरी तरह से प्रभावित होंगे । अतः इन्हीं प्रावधानों पर आप सभी से चर्चा करने के लिए आज की इस बैठक का आयोजन किया गया है ।

इस अवसर पर बैठक का संचालन कर रहे मानसेवी सचिव–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि शासन के स्व–विज्ञापन के विरुद्ध यह प्रावधान मध्यवर्गीय व्यापारी व उद्योगपतियों के विरुद्ध है । आपने कहाकि वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विज्ञापन एकमात्र साधन है और मध्यमवर्गीय व्यापारी प्रिन्ट या इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया का महंगा होने की वजह से उपयोग नहीं कर पाता है, तब ऐसी स्थिति में स्वविज्ञापन होर्डिंग, ग्लोसाइन आदि विज्ञापन को भी सीमित और महंगा कर दिया जाएगा, तब यह विज्ञापन भी उसके पहुँच से बाहर हो जाएगा, जिससे उसका व्यापार भी प्रभावित होगा और शासन का राजस्व भी, इसके साथ ही एक बड़े वर्ग की शासन की ऐसी व्यापार विरोधी नीतियों के प्रति नाराजगी भी बढ़ेगी । अतः शासन इन प्रावधानों को शीघ्रातिशीघ्र वापिस ले ।

बैठक में मानसेवी संयुक्त सचिव–जगदीश मित्तल, कोषाध्यक्ष–गोकुल बंसल, सहित कार्यकारिणी सदस्य– सर्वश्री ललित जैन, राजेशबाबू जैन, विवेक जैन, प्रदीप भवानी, अश्वनी कुमार सोमानी, विनोद बिजपुरिया, रवि अग्रवाल, एस. के. मिश्रा, वसंत अग्रवाल, मनीष बांदिल सहित सदस्य सर्वश्री दीपक पमनानी, दीपक जेठवानी, गजेन्द्र अस्थाना, अशोक मित्तल, एस. सी. बिंदल, आशुतोष मिश्रा, धर्मेन्द्र सिंह, नीरज जैन, रामप्रकाश साहू (सचिव, लघु उद्योग एसोसिएशन, डबरा), ललित गाँधी, अरुण गुप्ता, सुरेश गुप्ता, मोहित जोहरी, आनन्द शर्मा, राकेश श्रीवास्तव, उमेश उप्पल, राजीव गोस्वामी, मुकेश गोस्वामी, सोनू गुप्ता, रवि मंगल, विजय केशवानी, हरीश कुमार, समीर भोजवानी, पंकज सहित बड़ी संख्या में व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे ।

उपरोक्त प्रावधानों पर संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को चेम्बर ने भेजे सुझाव व आपत्तिया

चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ''मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम,2016'' के प्रारूप पर दिनांक 25 अप्रैल को अपने सुझाव व आपत्तियाँ संयुक्त संचालक (ट्रांसपोर्ट), नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल को प्रेषित की गई हैं, जो कि निम्नानुसार हैं :–

✻ **स्व–विज्ञापन के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों पर साइन बोर्ड के पंजीयन को अनिवार्य नहीं किया जाए :**

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों अथवा औद्योगिक इकाईयों पर लगने वाले साईन बोर्ड के पंजीयन को अनिवार्य नहीं किया जाए क्योंकि व्यवसाईयों व औद्योगिक इकाईयों द्वारा शॉप एक्ट के तहत् इनका पंजीयन पूर्व से ही कराया जा रहा है । अब पृथक से एक और विभाग में इनका पंजीयन आखिर क्यों ? जबकि एक अन्य विभाग को और थोपे जाने से व्यापारीवर्ग पर अनावश्यक कार्य का बोझ बढ़ेगा और उनका आर्थिक शोषण होगा ।

✻ **स्व–विज्ञापन के अन्तर्गत तीन फुट से ऊपर के साइन बोर्ड पर शुल्क मंजूर नहीं :**

तीन फुट से ऊँचे बोर्ड को शुल्क से मुक्त रखा जाए । व्यवसाई व उद्यमी द्वारा यह साइन बोर्ड निजी संपत्ति व अपने प्रतिष्ठान पर लगाए जाते है, फिर उनके साइज पर शुल्क क्यों ? जो मध्यमवर्गीय व्यापारी बड़ा विज्ञापन का आर्थिक बोझ नहीं उठा सकते है, तब ऐसी अवस्था में वह बड़ा बोर्ड लगाते है या बोर्ड के ऊपर बोर्ड लगाते है । यह नियम उन पर कुठाराघात होगा । वहीं व्यवसायिक स्थलों से नगर–निगम द्वारा पूर्व से ही वाणिज्य सम्पत्ति कर वसूला जाता है, जबकि दुकानों के लिए विज्ञापन के अतिरिक्त और कोई अन्य सुविधाएँ जो भवन में रहने वाले लोगों को मिलती है, वह भी वाणिज्यिक स्तर पर उपभोग नहीं होती है । अतः इस पर कर लिया जाना कतई स्वीकार नहीं है और घोर आपत्तिजनक है ।

✻ **5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जमीन होर्डिंग केवल सिंगल पोल (यूनीपोल) पर माउंट होगा, में परिवर्तन किया जाए**

5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों/स्थानों पर होर्डिंग केवल यूनीपोल पर लगाए जाना अनिवार्य नहीं किया जाए क्योंकि यूनीपोल पर होर्डिंग काफी खर्चीला होता है और ऐसा होने से छोटे कारोबारी अपने विज्ञापन ही नहीं दे पाएँगे। यह व्यवस्था केवल बड़े कारोबारियों (कॉरपोरेट्स) के लिए ही मददगार साबित होगी। अतः इस प्रावधान को वापिस लिया जाए। इसको बड़ी-बड़ी सड़कों वाले मार्ग के लिए किया जा सकता है, लेकिन सामान्य मार्गों पर (50 फिट से नीचे) सामान्यतः होर्डिंग की भी अनुमति दी जाए। वही यूनीपोल पर होर्डिंग का किराया भी कॉफी होगा, जो कि मध्यमवर्गीय व्यवसाईयों पर एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ होगा।

✻ **निजी भवनों पर होर्डिंग को प्रतिबंधित नहीं किया जाए :**

निजी भवनों पर लगने वाले होर्डिंग को प्रतिबंधित नहीं किया जाए। अपितु इसके स्थान पर होर्डिंग लगाए जाने हेतु मापदण्ड बनाए जाए। क्योंकि निजी भवनों पर लगने वाले होर्डिंग की आय से अनेक परिवारों का भरण-पोषण हो रहा है, अगर इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, तो कई परिवारों के सम्मुख आर्थिक परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी तथा यह स्वयं के विज्ञापन को रोकने का भी एक प्रयास होगा। साथ ही, जिस मकान पर यह होर्डिंग स्थापित है, उस पर नगर-निगम द्वारा भी निर्धारित शुल्क वसूला जाता है। वहीं आज तक कोई ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया, जिससे कोई जनहानि हुई हो, जबकि छतो पर इससे ज्यादा आपत्तिजनक मोबाइल टॉवर्स को अनुमति प्रदान की गई है।

✻ **40 फुट से कम मार्ग पर ग्लोसाइन बोर्ड को प्रतिबंधित नहीं किया जाए :**

उपरोक्त मीडिया नियमों में 40 फुट से कम चौड़े मार्गों पर ग्लोसाइन बोर्ड को प्रतिबंधित किए जाने के प्रावधान का विरोध करते हैं। प्रचार-प्रसार के आज के आधुनिक दौर में ग्लोसाइन बोर्ड पर इस प्रकार का प्रतिबंध उचित नहीं है। अतः इस प्रावधान को वापिस लिया जाए। हाँ ग्लोसाइन बोर्ड के मानक अवश्य निर्धारित किए जा सकते है।

✻ **समारोह (Event) पर लाइसेंस फीस का प्रावधान नहीं किया जाए :**

समारोह को विज्ञापन की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है और इस पर कम से कम 5 हजार शुल्क अधिकतम एक महीने के लिए अनिवार्य देना होगा। समारोह स्थल पर आकार के हिसाब से यह राशि निर्धारित होगी। कार्यक्रमों को विज्ञापन की श्रेणी में न रखा जाए और इस पर किसी भी प्रकार की लाइसेंस फीस लागू नहीं की जाए। क्योंकि अधिकांशतः जनहित और सामाजिक कार्यक्रम शासन की बिना किसी मदद के ऐसे प्रायोजकों के द्वारा ही तैयार होते है। यदि इन पर यह कर लगा दिया गया, तो ऐसे कार्यक्रमों का सम्पन्न होना, जो जनहितार्थ सामाजिक कल्याण और जनचेतना के लिए होते है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

13. आउटडोर मीडिया डिवाइस के प्रारूप, (ए-5) :

औद्योगिक घरानों व व्यवसाईयों द्वारा सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, अस्पतालों अथवा सहायता केन्द्रों पर साइन बोर्ड अथवा कचड़ादान लगाए जाते हैं। उक्त बोर्ड के एक हिस्से पर निर्माता द्वारा प्रचार की दृष्टि से अपना विज्ञापन दर्शाया जाता है। इस व्यवस्था को यथावत् रखा जाए। इस पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाए क्योंकि यह कार्य शासकीय एजेंसियों द्वारा संभव ही नहीं है। यह कार्य वर्षों से निजी संस्थाओं द्वारा सेवाभावी रूप में किया जा रहा है और यदि इन पर कर लगाया गया, तो ऐसे सहयोग जो कि शहर की सुन्दरता के लिए आवश्यक होते है और शासन स्तर पर आर्थिक प्रावधानों के अभाव में लम्बित रहते है, लोगों पर ऐसे बोर्ड न होने से सूचना का अभाव होता है, तो यह कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

✻ **बस, टैक्सी, कार आदि वाहनों पर विज्ञापन दर्शाए जाने पर लाइसेंस फीस :**

कॉमर्शियल वाहन जैसे कि बस, टैक्सी व कार आदि पर विज्ञापन दर्शाए जाने पर लाइसेंस फीस न्यूनतम 250/- से लेकर 1000/- तक प्रतिमाह आरोपित किए जाने के प्रावधान को भी वापिस लिया जाए क्योंकि यह वाहन कॉमर्शियल टैक्स आरटीओ को अदा करते हैं। अतः इन कॉमर्शियल वाहनों पर विज्ञापन के लिए मानक निर्धारित किए जाएं, परन्तु करारोपण नहीं किया जाए।

✻ **राजनैतिक नियुक्तियाँ, घोषणाएँ, उपलब्धियों पर भी होर्डिंग के ऊपर अस्थाई रूप से होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित किया जाए और उल्लंघन की स्थिति में दण्ड का प्रावधान भी किया जाए।**

चेम्बर का सुझाव है कि ग्वालियर, प्रदेश का ऐसा पहला नगर-निगम है, जिसने इस संदर्भ में अपनी एक नीति तैयार कर रखी है। कृपया उसका भी अवलोकन करें। साथ ही, इस नीति का उद्देश्य पैसा प्राप्त करना नहीं अपितु प्रदेश को सुंदर और प्रदेश के व्यापार से अधिकाधिक वृद्धि हो यह होना चाहिए।

हमारा प्रदेश औद्योगिक प्रदेश नहीं है, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत यहाँ की वाणिज्यिक गतिविधियाँ है, जो निकटवर्ती प्रदेश से कर की दरें अधिक होने से पूर्व से प्रभावित है और निकट के प्रदेशों की तुलना में कम है और यदि इस नीति को बिना उक्त संशोधनों के लागू किया गया, तो यह केवल बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों की ही सहायता होगी और मध्यमवर्गीय व्यापारी पर बज्रपात होगी।

वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विज्ञापन एकमात्र साधन है और मध्यमवर्गीय व्यापारी प्रिन्ट या इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया का महंगा होने की वजह से उपयोग नहीं कर पाता है, तब ऐसी स्थिति में स्वविज्ञापन होर्डिंग, ग्लोसाइन आदि विज्ञापन को भी सीमित और महंगा कर दिया जाएगा, तब यह विज्ञापन भी उसके पहुँच से बाहर हो जाएगा, जिससे उसका व्यापार भी प्रभावित होगा और शासन का राजस्व भी, इससे साथ ही एक बड़े वर्ग की शासन की ऐसी व्यापार विरोधी नीतियों के प्रति नाराजगी भी बढ़ेगी।

रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, म. प्र. द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं का पंजीयन अब एम पी ऑनलाईन लि. से....

स्वयं सेवी संस्थाओं सहित शैक्षणिक, सांस्कृतिक, परोपकारी व जनकल्याणकारी संस्थाओं का पंजीयन अब **www.mponline.gov.in** के माध्यम से किया जा सकता है। कार्यालय से संबंधित ऑनलाईन जानकारी हेतु श्री आयुष तिवारी, फोन नं. 0755-66623881, मो. नं.-7049923881 से सम्पर्क कर, प्राप्त की जा सकती है।

भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932

इस अधिनियम के अधीन व्यापारिक साझेदारी फर्मों का पंजीयन किया जाता है तथा समय-समय पर फर्मों की रचना में जो परिवर्तन होते हैं, उनको रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तथा फर्मों के भागीदारों द्वारा अथवा अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतियाँ जारी की जाती हैं।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973

इस अधिनियम के अधीन शैक्षणिक, सांस्कृतिक, परोपकारी, जनकल्याणकारी तथा अनेक प्रकार की स्वयं सेवी संस्थाओं का पंजीयन किया जाता है तथा पंजीयत संस्थाओं की जाँच विशेष ऑडिट, निरीक्षण, प्रशासक की नियुक्ति आदि का कार्य होता है। संस्थाओं एवं अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रमाणित प्रतियाँ जारीकी जाती है तथा संस्था के विधान में जो संशोधन समय-समय पर होते हैं, उनकों भी अनुमोदित कर रिकार्ड पर लिया जाता है।

मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय में पदस्थ अधिकारीगण द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की निम्नलिखित धाराओं के अधीन कार्य सम्पन्न किए जाते हैं :-

पदनाम	धाराएँ
डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, म. प्र.	धारा 21 एवं 29
असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, म. प्र.	धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39

म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा किए गए प्रयास....

* व्यवसाईयों के विरुद्ध बलवा जैसी संगीन धाराओं के तहत दर्ज किए प्रकरणों की जाँच कर, उचित कार्यवाही किए जाने हेतु जिलाधीश, ग्वालियर एवं पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पत्र प्रेषित किए गए।
* पंजाब नेशनल बैंक की ज्येन्द्रगंज शाखा, चेम्बर भवन के रिक्त हॉल में किए जाने हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र प्रेषित किया गया।
* 1% एक्साइज ड्यूटी रजिस्टर्ड ब्रॉण्डेड ज्वेलरी पर ही लागू किए जाने हेतु प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्तमंत्री, श्री अरुण जेटली एवं अध्यक्ष, फिक्की, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किए गए।
* केन्द्रीय बजट में ज्वेलरी पर लगाई गई 1% एक्साइज ड्यूटी की वापिसी हेतु संसद सदस्य–श्री अनूप मिश्रा को ज्ञापन प्रेषित कर, आवश्यक सहयोग की माँग की गई।
* गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यथाशीघ्र बकाया राशि समाधान योजना लागू करने हेतु श्री मुकुल धारीवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया, ताकि बड़ी संख्या में गैर घरेलू उपभोक्ता इस योजना से लाभांवित हो सकें और शासन को भी लंबित राजस्व की प्राप्ति संभव हो सके।
* कपड़ा व शक्कर सहित करमुक्त वस्तुओं से फार्म–49 को तत्काल हटाए जाने के लिए प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिक मंत्री, श्री जयंत मलैया एवं प्रमुख सचिव, म. प्र. वाणिज्यिक कर विभाग को पत्र प्रेषित किए गए, ताकि प्रदेश के कपड़ा व शक्कर व्यवसाई अपना कारोबार बगैर किसी परेशानी के पूर्ववत् बनाए रख सकें।
* वर्ष 2016–17 के प्रस्तुत बजट में ज्वेलरी पर लगाई गई 1% एक्साइज ड्यूटी के प्रावधानों में संशोधन हेतु 15 बिन्दु प्रधानमंत्री–श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्तमंत्री,–श्री अरुण जेटली एवं केन्द्रीय मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं अध्यक्ष, फिक्की, नई दिल्ली को प्रेषित किए गए, ताकि सोना–चाँदी व्यवसाई एक्साइज विभाग की ज्यादतियों के शिकार होने से बच सकें।
* ग्रेटर ग्वालियर सेनेट्री डीलर एसोसिएशन को जमीन आवंटित किए जाने हेतु जिलाधीश, ग्वालियर को पत्र प्रेषित किया गया।
* गतिमान एक्सप्रेस को ग्वालियर तक बढ़ाए जाने हेतु केन्द्रीय रेलमंत्री, श्री सुरेश प्रभु जी को पत्र प्रेषित किया गया।
* ग्वालियर शहर में थ्री फेस मीटर की कमी को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, ग्वालियर रीजन को पत्र प्रेषित किया गया।
* ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव–श्री आई.सी.पी. केसरी, मुख्य महाप्रबंधक, ग्वालियर रीजन एवं महाप्रबंधक, शहर वृत्त को पत्र लिखकर माँग की गई है कि निम्न गुणवत्ता वाले स्प्रिंग लोडेड बॉक्स को चिन्हित कर, शीघ्रातिशीघ्र बदले जाने के लिए अभियान चलाया जाए तथा इन बॉक्स से निर्धारित मानक अनुसार ही विद्युत कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
* भारतीय स्टेट बैंक, जीयाजी चौक, बाड़ा (मुख्य शाखा) के सम्मुख ग्राहकों की सुविधा हेतु पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपर आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र), नगर–निगम को पत्र प्रेषित किया गया।
* नवीन लोहा मण्डी की स्थापना के संबंध में चर्चा करने के लिए समय उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित किया गया।
* संयुक्त सचिव, श्रम कल्याण, भारत सरकार को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय संशोधन नियम,2016 पर आपत्तियाँ भेजकर, माँग की गई कि वर्तमान में जारी न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों को ही भविष्य में जारी रखा जाए, इनमें कोई संशोधन अथवा बढ़ोत्तरी नहीं की जाए।
* बानमोर औद्योगिक क्षेत्र की आपातकालीन आवश्यकताओं को कृपया ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र कम से कम दो फायर ब्रिगेड, एक फोम टेण्डर एवं एक वॉटर टेण्डर उपलब्ध कराए जाने हेतु वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री–श्रीमंत यशोधराराजे सिंधिया एवं उद्योग आयुक्त को पत्र प्रेषित किए गए, ताकि बानमोर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों की वर्षों पुरानी उपरोक्त माँग पूर्ण हो सके।
* प्रबंध संचालक, आईआईडीसी को पत्र लिखकर बिलौआ में स्थापित होने जा रहे प्लास्टिक पार्क में इन्सूलेटर इकाई की स्थापना हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराने की माँग की गई।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गठन के संबंध में.....

उद्योग संचालनालय, म. प्र. (एमएसएमई कक्ष) से प्राप्त पत्र क्रमांक-3/एमएसएमई/(29)/2015/2894-2951, भोपाल, दिनांक 25-04-16 से प्राप्त पत्र में उल्लेख किया गया है :-

''राज्य शासन के द्वारा पृथक से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग का गठन किया गया है, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) दिनांक 05.04.2016 में हुआ है । इस नवगठित विभाग द्वारा उद्योग संघों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन निकट भविष्य में किया जाना है । अतः आपसे अनुरोध है कि इस नवगठित विभाग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित नियम/अधिनियम, नीति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अपने सुझाव उद्योग आयुक्त, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004 पर डाक द्वारा अथवा निम्न आईडी पर ईमेल द्वारा प्रेषित करने का कष्ट करें ।'' :-

mohan.chaturvedi08@gmail.com,
mohanlalchoudhary103@gmail.com

चेम्बर के सदस्यों से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नवगठित विभाग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित नियम/अधिनियम, नीति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अपने सुझाव चेम्बर सचिवालय में अथवा सीधे उपरोक्त पते पर प्रेषित करने की कृपा करें ।

हेल्थ टिप्स ...

0751-2370831

वैद्य वेणी माधव शास्त्री, सी-9, चेतकपुरी, ग्वा.

कब्ज

- वास्तव में कब्ज कोई रोग नहीं, पाचन तंत्र का एक विकार या लक्षण है
- कब्ज का कारण भोजन का समय, भोजन में शामिल पदार्थ और हमारे रहन-सहन की आदत मुख्य है । कुछ लोगों में यह जन्म से भी होता है ।
- शरीर की स्थिति के अनुसार सामान्य रूप से यदि भोजन में हल्का आहार दही, छाछ, हरी सब्जी और उचित मात्रा में जल लिया जाए, तो कब्ज आसानी से दूर हो जाती है ।
- सामान्य औषधि के रूप में छोटा हरड़, घी में शेक कर, चूर्ण बनाकर आधा चम्मच प्रतिदिन रात्रि में पानी के साथ लेने पर लाभकारी होता है ।
- नियमित रूप से दो चम्मच शहद, आधा कप गुनगुना जल तथा चुटकी भर सेंधा नमक डालकर पीने से कब्ज दूर होता है ।
- डायविटीज, रक्तचाप तथा हृदय के रोगियों में कब्ज होता ही है । इन लोगों को ईसबगोल की भूसी एक चम्मच रात्रि को गुनगुना जल या दूध से लेना चाहिए ।
- बवासीर, भगन्दर तथा आंतो की बीमारियों में कब्ज दूर करने के लिए मुनक्का (5), अंजीर (2) पानी में भिगोकर, चबाकर आधा ग्लास जल से रात्रि में लेना चाहिए ।
- कब्ज से पीड़ितों को साबूदाना, मैदा, अरबी, राजमा, कटहल तथा फास्ट फूड से बचना चाहिए ।

शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में खाना नहीं लेने पर कम हो जाएगा किराया

दोनों ट्रेनों में केटरिंग सर्विस को वैकल्पिक करने की तैयारी कर रहा रेलवे, प्रस्ताव बोर्ड भेजा गया

शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है । अगर आपको शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में सफर के दौरान रेलवे द्वारा दी जाने वाली कैटरिंग सर्विस का लाभ नहीं लेना तो आप इससे इंकार कर सकते हैं । इससे आपका किराया कम हो जाएगा, क्योंकि किराए में से कैटरिंग चार्ज हटा दिया जाएगा । जल्द ही इस पर निर्णय हो सकता है । जून माह से नई दिल्ली से चलने वाली शताब्दी, राजधानी श्रेणी की तीन ट्रेनों में इस परिवर्तन की ट्रायल करने की तैयारी भी उत्तर रेलवे ने कर ली है ।

शताब्दी और राजधानी श्रेणी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को कैटरिंग सर्विस लेना अनिवार्य है । चाहे वह खाना ले या नहीं, उनके किराए में कैटरिंग चार्ज जोड़ा जाता है । इन ट्रेनों में घटिया खाना एवं अन्य कारणों के कारण खाना नहीं लेते । लेकिन अब रेलवे शताब्दी, राजधानी श्रेणी की ट्रेनों में कैटरिंग सर्विस की अनिवार्यता को खत्म करने की तैयारी कर रहा है । अब यात्रियों को शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस में कैटरिंग सर्विस लेने या न लेने की स्वतंत्रता होगी । इसमें उन्हें फायदा यह होगा कि अगर वह कैटरिंग सर्विस नहीं लेंगे, तो कैटरिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा । अभी तक खाना न लेने पर भी कैटरिंग चार्ज देना होता था । इसे लेकर रेलवे बोर्ड में प्रस्ताव भेजा जा चुका है ।

इसलिए कर रहे बदलाव

- रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का तर्क है कि शताब्दी एवं राजधानी एक्सप्रेस में कई यात्री खाने की गुणवत्ता को लेकर खाना नहीं लेते, जबकि उन्हें भुगतान पूरा करना पड़ता है । ऐसे में ठेकेदार को कोई नुक्सान नहीं होता, क्योंकि उसे तो पूरा पैसा मिलता है ।
- जब कैटरिंग सर्विस की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी, तो ठेकेदार को यह फिक्र रहेगी कि अगर खाने की गुणवत्ता से समझौता किया तो यात्री खाना नहीं खाएँगे, इससे खाने की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
- इससे जो यात्री ई-कैटरिंग का लाभ लेना चाहते हैं, वह ले सकेंगे।

इतना कम होगा किराया

- नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के चेयरकार में सफर करने वाले यात्री को 770 रुपये किराया देना पड़ता है । ✻ इसमें बेस किराया 528 रुपये, कैटरिंग चार्ज 130 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये और सर्विस टैक्स 27 रुपये रहता है ।
- कैटरिंग सर्विस की अनिवार्यता खत्म होने के बाद अगर खाना नहीं लेना तो कैटरिंग चार्ज के 130 रुपये कम हो जाएंगे और शताब्दी एक्सप्रेस में ग्वालियर से भोपाल जाने वाले यात्री को 770 रुपये की जगह 640 रुपये किराया कम हो जाएगा।

स्रोत : नई दुनिया, 27/4/2016

सदस्य उपलब्धियाँ ...

प्रदेश के मुख्यमंत्री–श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चेम्बर के सदस्य एवं मेसर्स दीनदयाल इण्डस्ट्री लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक–श्री आनन्द मोहन छापरवाल को आउट स्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है । श्री छापरवाल जी को यह अवार्ड आयुर्वेद के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है । ज्ञात रहे फेडरेशन ऑफ म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, भोपाल द्वारा उद्योग व सेवा क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले विशिष्टजनों को सम्मानित करने हेतु भोपाल में समारोह का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता, प्रदेश के वित्तमंत्री–श्री जयंत मलैया ने की । इस अवसर पर फेडरेशन के अध्यक्ष–श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे ।

कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री (सीआईआई) द्वारा ग्वालियर जोनल काउंसिल में चेम्बर के सदस्य, श्री रविप्रकाश बंसल, मेसर्स बी. पी. फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. को चेयरमैन एवं श्री उदय गुप्ता, मेसर्स इंजीनियर्स गैसेस प्रा. लि. को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है ।

अखिल भारतीय खण्डेलवाल वैश्य महासभा द्वारा चेम्बर के कार्यकारिणी सदस्य, श्री बालकृष्ण खण्डेलवाल को वर्ष 2016–19 के लिए पुनः राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, निर्विरोध निर्वाचित हुए है ।

उपरोक्त सदस्य महानुभावों को पुरस्कार मिलने एवं मनोनयन होने व निर्वाचित होने पर चेम्बर के पदाधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं हैं ।

नोट : सदस्य महानुभाव अपनी उपलब्धियाँ संपादक महोदय को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

चेम्बर की उपलब्धियाँ....

चेम्बर द्वारा ग्वालियर सर्विस टैक्स कमिश्नरेट की पदस्थापना किए जाने की माँग विगत् काफी समय से निरन्तर की जा रही थी तथा इस हेतु चेम्बर द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 15 को केन्द्रीय वित्तमंत्री–श्री अरुण जेटली एवं केन्द्रीय खान एवं इस्पात मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित किए गए । साथ ही, इससे पूर्व भी समय–समय पर चेम्बर द्वारा इस हेतु केन्द्र सरकार व संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया ।

ग्वालियर में खुलेगी सर्विस टैक्स कमिश्नरेट
श्री वी. पी. शुक्ला होंगे, आयुक्त

सरकार को मिलने वाले सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ गया है । भोपाल, रायपुर और इंदौर के बाद अब ग्वालियर, जबलपुर और बिलासपुर में नई कमिश्नरेट बनाई गई है । ग्वालियर में कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टेक्स का कमिश्नर ऑफिस जून से काम करने लगेगा । श्री वी. पी. शुक्ला यहाँ के पहले कमिश्नर होंगे, जो कि अभी इंदौर में बैठकर काम देख रहे हैं । कमिश्नरेट बनने से ग्वालियर–चंबल संभाग के कस्टम, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स पेयी को बड़े मसले निपटाने के लिए इंदौर नहीं जाना पड़ेगा । सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी तथा नए लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएँ बढ़ेंगी । आयुक्त कार्यालय की स्थापना सिटी सेंटर में होगी तथा यह जून से काम करने लगेगा ।

अक्टूबर 2014 की कैडर री–स्ट्रक्चरिंग में हुआ फैसला

सर्विस टैक्स के राजस्व में बढ़ोत्तरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में कैडर री–स्ट्रक्चरिंग की । इसमें इंदौर सर्विस टैक्स कमिश्नरी में आने वाले ग्वालियर–चंबल संभाग को हटाकर, नया सर्विस टैक्स कमिश्नर ऑफिस ग्वालियर में बनाया जाना तय हुआ । नए कमिश्नर ऑफिस में ग्वालियर–चंबल संभाग के अलावा रतलाम, उज्जैन, देवास और सर्विस टैक्स डिवीजन को शामिल किया गया है ।

अंचल में सर्विस टैक्स की वसूली 132 करोड़

ग्वालियर–चंबल अंचल में सर्विस टैक्स की वसूली बढ़कर वर्ष 2015–16 में करीब 132 करोड़ रुपये पर पहुँच गई है, जबकि टारगेट 135 करोड़ रुपये का रखा गया था ।

स्रोत : दैनिक भास्कर, 06/5/2016

नवीन वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु सदस्यता शुल्क देय

नवीन वित्तीय वर्ष 2016-17 का सदस्यता शुल्क देय हो चुका है, जिसकी जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून, 16 है। उक्त तिथि के पश्चात् रु. 50/- अधिभार की राशि देय होगी।

अतएव सदस्य महानुभावों से निवेदन है कि वर्ष 2016-17 का सदस्यता शुल्क कृपया यथाशीघ्र जमा कराने का कष्ट करें। सदस्यता शुल्क की दरें निम्नानुसार हैं :-

1.	पब्लिक लिमिटेड कं.	:	रु. 3000.00
2.	प्रायवेट लिमिटेड कं.	:	रु. 1500.00
3.	साधारण सदस्य	:	रु. 750.00

कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु इच्छुक सदस्य व उनके परिवारजनों के नाम आमंत्रित

चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अपने सदस्यों एवं उनके परिजनों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण शिविर प्रारम्भ किया जाना है, जिसे भारत सरकार की योजना एलडीएलएम (National Digital Literacy Mission) के अन्तर्गत श्रीराम कम्प्यूटर सेंटर द्वारा दिया जाएगा, जिसमें ऑन लाईन एक्जाम के साथ भारत सरकार द्वारा डिजीटल साक्षरता का प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा। इस हेतु जो भी सदस्यगण या उनके परिवारजन इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं। वह अपना आवेदन, शीघ्रातिशीघ्र 'चेम्बर सचिवालय' में प्रेषित करने का कष्ट करें। ''पहले आओ-पहले पाओ'' की तर्ज पर वेच में चयन कर, वेच प्रारम्भ किए जाएँगे। एक वेच महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।

वार्षिक साधारण सभा के महत्वपूर्ण निर्णय...

दिनांक 28 अप्रैल, 16 को सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नानुसार हैं :-

- वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्यविवरणिका को स्वीकृति प्रदान की गई।
- वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की ऑडिट रिपोर्ट एवं हिसाब को स्वीकृति प्रदान की गई।
- वर्ष 2015-16 के हिसाब के ऑडिट हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई।
- वर्ष 2016-17 के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अन्तर्गत प्रवेश शुल्क व वार्षिक शुल्क की दरें निम्नानुसार है :-

प्रवेश शुल्क (नवीन सदस्यता) शुल्क :-

1.	पब्लिक लिमिटेड कं.	:	रु. 41,000/-
2.	प्रायवेट लिमिटेड कं.	:	रु. 31,000/-
3.	साधारण सदस्य	:	रु. 21,000/-

वार्षिक सदस्यता शुल्क :-

1.	पब्लिक लिमिटेड कं.	:	रु. 3000.00
2.	प्रायवेट लिमिटेड कं.	:	रु. 1500.00
3.	साधारण सदस्य	:	रु. 750.00

लोकसभा में वित्त विधेयक पास

लोकसभा में 5 मई को वित्त विधेयक 2016 पारित कर दिया गया। इसमें कई सुधारों को शामिल किया गया है, जिसमें एक यह भी है कि गैर सूचीबद्ध कंपनियों में दीर्घकालिक पूंजीगत् लाभ कर के लिए शेयरों को रखने की अवधि वर्तमान 36 महीने से घटाकर 24 महीने कर दी गई है। इसमें सोने के आभूषण पर उत्पाद शुल्क बरकरार रखा गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि सोने के आभूषण पर उत्पाद शुल्क छोटे कारोबारियों व जौहरियों पर लागू नहीं है।

Distributor :
P.D. SONS
Complete Lighting Solution & Automation
PHILIPS sense and simplicity
BAJAJ Bajaj Electricals Ltd. Inspiring Trust
HYBEC lighting the future
legrand®
Infront of Rajeev Plaza, Jayendraganj, Lashkar, Gwalior
Ph. : 0751-2430099, 4071599. E-mail : pdsons@gmail.com

स्वामी म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक-डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा सांई ऑफसेट, ग्वालियर से मुद्रित तथा 'चेम्बर भवन', एस.डी.एम. मार्ग, ग्वालियर से प्रकाशित. संपादक-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, दूरभाष-2371691,2632916,2382917 फैक्स-2323844